

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**  
President

Mob. No.- 9334118192



**Anil Kumar**  
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

**Vice President**  
Md. Moezuddin  
9304951990

Ajay Kumar  
9835737317

**Joint Secretary**  
Subodh Kumar  
7979919465

**Gopal Sharan**  
8210342042

**Treasurer**  
Sunil Kumar Tiwary  
9431085120

**Joint Treasurer**  
Mona Jha  
9430881025

Memo No. 48

Date 22.4.2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा का निलम्बन आदेश वापस लेने के संबंध में।

प्रसंग :- संकल्प संख्या ज्ञापांक-4302, दिनांक-21.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सादर अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा को निलम्बित करने के बिहार सरकार के समानता अधिकार का हनन तथा अन्यायपूर्ण निर्णय को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ विरोध करती है तथा इसकी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जाँच की भी मांग करती है।

(1) जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा को अन्तर्राज्यीय वाहन परमिट निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया था जो Administrative Law के प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध है। बिहार के विभिन्न जिला पदाधिकारियों द्वारा इस नियम का उल्लंघन करते हुए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अन्तर्राज्यीय पास निर्गत करने के लिए प्राधिकृत करने के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नियमित अथवा अनियमित रूप से जिला पदाधिकारी ने अन्तर्राज्यीय परमिट निर्गत करने हेतु किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को प्राधिकृत कर भी दिया है तो Administrative Law के नियम के अनुसार उक्त प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्णय लेने में कोई गलती होती है तो भी शक्ति प्रदत्त करने वाला पदाधिकारी उक्त सिद्धांत के आधार पर उतना ही जिम्मेवार है, जितना शक्ति का प्रयोग करने वाला पदाधिकारी। इस आधार पर जिला पदाधिकारी, नवादा को भी तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने की संघ मांग करती है।

(2) समदर्शी मामले में बिहार के लगभग सभी जिले के जिला पदाधिकारी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी कोटा के लिए अन्तर्राज्यीय पास निर्गत किए गए हैं। संघ मांग करती है कि जैसे सभी जिला पदाधिकारियों को निलम्बित किया जाए। साक्ष्य के रूप में जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद का आदेश ज्ञापांक-1722 (गोपनीय), दिनांक-20.04.2020, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, आरा का आदेश ज्ञापांक-914, दिनांक-15.04.2020,

K.M.

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**  
President

Mob. No.- 9334118192



**Anil Kumar**  
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Memo No .....

Date .....

-2-

**Vice President**  
Md. Moezuddin  
9304951990

Ajay Kumar  
9835737317

**Joint Secretary**  
Subodh Kumar  
7979919465


**Gopal Sharan**  
8210342042


**Treasurer**  
Sunil Kumar Tiwary  
9431085120

**Joint Treasurer**  
Mona Jha  
9430881025

जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का आदेश झापांक-932, दिनांक-15.04.2020, जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का आदेश झापांक-1393, दिनांक-11.04.2020 ई-पास निर्गत करने हेतु आवेदन संख्या-B COVID-2020 के आवेदक मोबाइल संख्या-9431466666 को दिनांक-07.04.2020 को वाहन संख्या-BR-01-PG 3523 को निर्गत किया गया था। उक्त वाहन परमिट/आदेशों का सत्यापन अपने स्तर से कराने का कष्ट करेंगे, जिससे यह और स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा को निलम्बित करने का आदेश सरासर भेदभाव की नीति के आधार पर लिया गया है।

- (3) यह अत्यन्त दुःखद है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के लगभग 1000 पदाधिकारी अपना और अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल कर देश-परदेश के जन-सामान्य की सेवा में जी-जान से लगे हैं लेकिन सरकार से प्रशस्ति पत्र की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से पूरे राज्य के अधिकारियों का मनोबल इस प्रकार से गिरा है कि वे सब हतोत्साहित एवं मर्माहत हैं।
- (4) विगत दो माह पहले इसी प्रकार बिना किसी स्पष्टीकरण मांगे बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन पदाधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था। सरकार के इस अन्यायपूर्ण निर्णय से क्षुब्ध होकर अधिकारी अवसाद में चले गए हैं तथा आशंका है कि इनमें से कुछ पदाधिकारी आत्महत्या भी कर सकते हैं।
- (5) अतः अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, नवादा सहित बिहार के वैसे सभी जिला पदाधिकारियों को भी अविलम्ब निलम्बित किया जाए जिन्होंने व्यक्ति विशेष को कोटा के लिए अन्तर्राज्यीय परमिट निर्गत किया है अन्यथा अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सहित बिहार प्रशासनिक सेवा के पटना नगर निगम अन्तर्गत कार्यरत तीन कार्यपालक पदाधिकारियों का निलम्बन अविलम्ब वापस लिया जाए।

  
(अनिल कुमार)

  
(शशांक शेखर सिन्हा)